ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

बिलाड़ा विकासखण्ड में कृषि के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाऐं

भींजाराम, शोधार्थी, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय पिण्डवाड़ा (सिरोही) राजस्थान
डॉ. देवेन्द्र मुझाल्दा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय पिण्डवाड़ा (सिरोही) राजस्थान

प्रस्तावना

बिलाड़ा विकासखण्ड में फसलों एवं मिट्टी से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा संचालित किये जाते है। इस क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में फसलों एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता का विकास दिन प्रतिदिन हो सके। इस क्षेत्र में शुष्क मौसम होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना वर्ष भर फसलों के उत्पादन में होता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जोधपुर जिले के प्रशासन के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हैं, जिसमें प्रशासन के द्वारा स्थानीय फसलों से संबंधित एवं इस क्षेत्र में स्थित मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कठोर कदम उठाये जा रहे है। जिसमें प्रमुख रूप से संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड, जोधपुर कृषि विभाग द्वारा कृषक के हित में प्रसारित कई प्रकार के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता हैं जिसमें उत्पादकता वृद्धि के 21 मूल मंत्र के अंतर्गत समय पर बुवाई करें, अधिकतम उत्पादन का लाभ ले। बीज उपचार (बीज का टीकाकरण) अवश्य करें, जिससे कम खर्च में फसल रहे निरोग व स्वस्थ। मिट्टी की जांच करवाकर सिफारिश के अनुसार संतुलित उर्वरक काम में ले, जिससे उर्वरक पर पैसा बचायें। गर्मी में भारी मिट्टी में गहरी जुताई अवश्यक करें, जिससे खरपतवार, रोग व कीट के प्रकोप में कमी होती है। उचित बीज दर रखे। कतार में बुवाई करें, कतार से कतार की समुचित दूरी रखे। पौधो की उचित संख्या में उचित दूरी से अच्छी बढ़वार व अधिक उपज पाये। ढलान के आड़े जुताई–बुवाई करें। वर्षा का ज्यादा पानी जमीन के अन्दर जाये। फसल बदल–बदल कर बोये, जिससे कीट रोग के प्रकोप में कमी। दलहनी/तिलहनी फसलों में जिप्सम का उपयोग अवश्य करे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े एवं उपज की गुणवत्ता बढ़े। फव्वारा, ड्रिप व पाइप लाइन इस्तेमाल करे, जिससे पानी की बचत होगी व सिचिंत क्षेत्र बढ़ेगा। फसल की क्रान्तिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्यक करे, जिससे कम पानी की स्थिति में अच्छी पैदावार मिलेगी। मित्र कीटों का संरक्षण करें, प्रकाश–पाश व फेरोमोन ट्रेप काम में लेवें, जिससे दवाई का प्रयोग कम होगा, बिना दवा के कीडों पर नियंत्रण होगा। जैविक खेती अपनाये, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। सिफारिश के अनुसार अगेती/पछेती फसलें जिससे विषम परिस्थितियों में भी आमदनी बढ़े। उपज का सुखाकर/छानकर/श्रेणीकरण (ग्रेड़िंग) कर बाजार में लें जाये। जिससे अधिक मूल्य मिलें। खाद/बीज/दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें, जिससे धोखाधड़ी से बचेंगें। आदान की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। कृषि कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ायें। नवीनतम जानकारी लें और समस्या का समाधान पाये। फसल बीमा करवायें, जिससे समय, श्रम एवं पैसा बचें। नगदी/उद्यानिकी फसलों को अपनाये जिससे निरन्तर आमदनी मिले। इन सभी की जानकारी स्थानीय प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कृषकों को दिया जाता है। इसके अलावा लोगों को कई प्रकार की मिट्टी एवं फसलों से संबंधित नवीन जानकारी तथा समय–समय पर मिलने वाले संसाधन भी उपलब्ध कराते है। कभी–कभी कृषि विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को नवीन योजना आने पर उनकी तुरंत जानकारी ग्रामीण कृषकों को कार्यक्रम एवं मौखिम एवं दुरभाष पर तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके स्थानीय लोगों को कई प्रकार की जानकारी प्रदान करके स्थानीय क्षेत्रों में कृषि एवं उससे संबंधित कई प्रकार की जानकारी कृषको को दी जाती है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्रों को खेती की नई जानकारी हो या समस्या समाधान किसानों की पहुँच अब और भी आसान हो गई हैं, इसके लिए बात करें इसके लिए किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की गई हैं जिसमें निः शुल्क टेलीफोन : 18001801551 या 1551 पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा देखें जयपुर दूरदर्शन पर खेती बाड़ी : गुरूवार – सांय 7.30 बजे, कृषि दर्शन : सोमवार से शुक्रवार – सांय 6.00 बजे, बागवानी : शानिवार सायं – 7.30 बजे का प्रसारण किया जाता है। सुनें खेती री बातां रेडियो कार्यक्रम जिसमें आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रतिदिन : सायं 7.45 बजे से 8.15 बजे तक किया जाता है। पढ़े जिसमें खेती री बातां मासिक अखबार डाक से मंगवाने के लिए मात्र 12 रूपये वार्षि शुल्क निकटतम कृषि कार्यालय में जमा करावें। मिलें जिसमें नजदीकी कृषि कार्यालय या जिले के कृषि विज्ञान केन्द्रों में। लॉग करे www.krishi.rajasthan.gov.in और भी बहुत कुछ–कृषि साहित्य पढ़े, कृषि फिल्में देखे, किसान मेले, किसान प्रदर्शनियों में भाग लेकर उत्पादन बढ़ाये, खुशहाली

लाये। इसके अलावा फार्मर्स पोर्टल farmer.gov.in में पर मोबाईल पंजीकरण करवाकर निः शुल्क एस.एम. एस. प्राप्त करें। जोधपुर खण्ड के कार्यालय जिसमें कोड–दूरभाष नंबर भी प्रदान किये जा रहे हैं, जिससे कृषि एवं मिट्टी से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसमें संयुक्त निदेशक कृषि, जोधपुर जिसका दूरभाष नंबर 0291–2544595, संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड जोधपुर जिसका दूरभाष नंबर 0291–25446646 है। उप निदेशक कृषि विस्तार जोधपुर जिसका दूरभाष नंबर 0291–2544091 है। उप निदेशक कृषि विस्तार, बाड़मेर जिसका दूरभाष नंबर 02982–220672 है। उप निदेशक कृषि (शस्य), रामपुरा जिसका दूरभाष नंबर 02926–222006 है। सहायक निदेशक कृषि जोधपुर जिसका दूरभाष नंबर 0291–2555263 है। सहायक निदेशक उद्यान, जोधपुर 0291–2545876 है।

इसके अलावा बिलाड़ा विकासखण्ड में फसल एवं मिट्टी से कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 से किया गया हैं जिसके अंतर्गत खरीफ व रबी की फसलों हेतु क्रमशः 2 व 1.5 तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रिमियम 5 प्रतिशत रखा गया है।

कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के अंतर्गत बिलाड़ा विकासखण्ड के लघु एवं सीमान्त कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अभिनव योजना ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना'' क्रियान्वित की जा रही है। इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से राज्य के कृषकों को सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिये आवश्यकता के अनुसार उन्नत कृषि उपकरण किराये पर लेने की सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ इन उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से आदान लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जाना संभव हो सकेगा। कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से राज्य में स्थापित होने वाले कस्टम हायरिंग केन्द्र नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार टोल फ्री कॉल सेन्टर पर फोन या मोबाईल द्वारा वेबसाइट के माध्यम से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य में 667 कस्टम हायरिंग केन्द्रों द्वारा कृषकों को सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है।

नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर – वर्षा आधारित क्षेत्र विकास :– वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु इस मिशन के अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित घटकों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के द्वारा उद्यानिकी आधारित कृषि पद्धति, पशुपालन आधारित कृषि पद्धति (गाय/भैंस व बकरी/भेंड), वृक्ष/पेंड आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाकर अकाल/अतिवृष्टि के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी कृषकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) – राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कृषकों को राज्य स्तर से प्रत्येक कृषक को एक–एक लाख रूपये राशि के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा, जिसके लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग – ''जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना'' का राज्य में योजना का क्रियान्वयन कराया गया। राज्य में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना का निर्माण CMRETAC की दिनांक 24.12. 2021 को समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्य फरवरी तक पूर्ण होने की संभावना है।

सॉयल हैल्थ कार्ड – वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक 57.05 लाख मृदा नमूनों का संग्रहण कर 2 करोड़ लाख सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरीत किये गये। वर्ष 2020–21 दौरान सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत मिट्टी नमूनें संग्रहण कार्य का भारत सरकार द्वारा स्थगित रखा गया हालांकि राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 1.21 लाख प्राप्त नमूनों का विश्लेषण कर 1.21 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार कर संबंधित किसानों को उपलब्ध कराये गये। सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत फसल प्रदर्शन एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये। वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य योजना का भारत सरकार से अनुमोदन आज दिनांक तक आपेक्षित है। राज्य योजना के तहत माह दिसम्बर 2021 तक कुल 3.73 लाख मृदा नमूनों का संग्रहण एवं विश्लेषणकर 2.88 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये है।

किसान सेवा केन्द्र :– कृषकों की सुविधा हेतु कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बजट योजना 2021–22 के अनुसार 1000 किसान

सेवा केन्द्रों के मुख्यालयों का सृजन एवं निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिनमें से 632 किसान सेवा केन्द्रों के मुख्यालयों का चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना – किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से राज्य में ''मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना (एम.बी.एस. वाई)'' वर्ष 2017–18 में प्रारंभ की गई। राज्य निधि की इस योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा, भीलवाडा एवं उदयपुर कृषि खंडों में की गई। वर्ष 2018–19 में 2.78 हजार हैक्टयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर 38025 क्वि. बीज उत्पादन किया गया है। वर्ष 2021–22 में 5470 क्विंटल बीज वितरण किया जाकर माह दिसम्बर तक 1.75 करोड़ रूपये की राशि का व्यय किया गया।

ऑन लाईन आवेदन – कृषि विभाग में आमजन एवं कृषकों के लिये जल हौज, फार्म पोण्ड, डिग्गी, पाईप लाईन, फव्वारा, कृषि यंत्र, कांटेदार तारबन्दी, एग्रो फोरेस्ट्री पर अनुदान तथा कृषि आदान विक्रय/निर्माण हेतु अनुज्ञापत्र एवं कृषि संकाय में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति के लिये राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन किये जाने की सुविधा विकसित की गई है। राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से विभाग में आवेदनों की ऑनलाईन जांच, मोबाईल एप्प से भौतिक सत्यापन, जियो–टेगिंग, ऑनलाईन प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति व भुगतान प्रक्रिया (End to End online Process) की जा रही है।

जल संरक्षण :– जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर 2021 तक 125 डिग्गीयां 3.293 फार्म पोण्ड का निर्माण एवं 3443 कि.मी. सिंचाई पाईपलाईन की स्थापना कृषकों के द्वारा की गयी है।

कांटेदार तारबन्दी कार्यक्रम :– नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 से राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन अंतर्गत कांटेदार तारबन्दी कार्यक्रम चालू किया गया है। इस वर्ष राज्य के समस्त जिलों में तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल को मध्यनजर रखते हुए 6 लाख 90 हजार मीटर भौतिक लक्ष्य आवंटित किये गये है, जिसके विरूद्ध 3.69 लाख मीटर की भौतिक प्रगति की जा चुकी है।

कृषकों को निःशुक्ल संदेश (एस.एम.एस.) :– कृषकों के सशक्तिकरण एवं समग्र विकास के लिये निःशुल्क संदेश भिजवाने हेतु एम–किसान पोर्टल पर दिसम्बर 2021 तक 17.25 लाख कृषकों का पंजीकरण किया गया।

शोध समस्या का चयन :–

बिलाड़ा विकासखण्ड में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की कृषि के क्षेत्र में नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उपयोग करने में स्थानीय एवं ग्रामीण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. केन्द्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ कृषकों के द्वारा नहीं लिया जा रहा है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये योजनाऐं नहीं पहुंच पा रही है।
3. शासकीय कर्मचारियों के द्वारा इन योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

शोध परिकल्पनाऐं :–

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित परिकल्पनाऐं हैं :–

1. शासकीय योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है।
2. इन योजनाओं का लाभ इन लोगों को सरलता से मिल रहा है।
3. इन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है।

अध्ययन विधि :–

1. अध्ययन का क्षेत्र :–

बिलाड़ा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र से संबंधित शासकीय योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

2. अध्ययन का समग्र :–

बिलाड़ा विकासखण्ड के ग्रामीण किसानों के द्वारा शासकीय योजनाओं का उपयोग को लिया गया

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

3. अध्ययन की इकाई :–

बिलाड़ा विकासखण्ड में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त कृषकों को रखा गया है।

4. निर्देषन विधि :–

बिलाड़ा विकासखण्ड के अंतर्गत उत्पादित होने वाली फसलों का अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 60 कृषक उत्तरदाताओं के माध्यम से किया जाएगा।

अध्ययन का स्तर :–

शोध पत्र के अध्ययन के लिए बिलाड़ा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में शासकीय योजनाओं के को इस लघु शोध पत्र में लिए शामिल किया गया है।

आंकड़ो का संकलन और विधि :–

बिलाड़ा विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं से संबंधित अध्ययन को आधार मानकर अध्ययन के लिए आँकड़ो को दो माध्यम से संकलित किया गया है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से अवलोकन किया गया है। द्वितियक स्त्रोत के अंतर्गत प्रकाशित स्त्रोत का अध्ययन किया गया है तथा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रकाशित कृषि एवं फसलों से संबंधित पत्र–पत्रिकाओं एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से आँकड़ों को प्राप्त किया गया है और इनको वर्णनात्मक विधि के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रं. 00.01 क्या आपको राजस्थान राज्य की कृषि से संबंधित शासकीय योजनाओं की जानकारी हैं ?

स.क्र.	विवरण	प्रतिशत
1	हाँ	40
2	नहीं	20
	कुल योग	60

स्त्रोत :– प्राथमिक समंक के आधार पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर नवम्बर 2023

उपरोक्त तालिका क्रं. 00.01 से स्पष्ट होता है कि बिलाड़ा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में स्थित कृषकों का मानना हैं कि राजस्थान राज्य की कृषि से संबंधित शासकीय योजनाओं की जानकारी हैं, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 40 है, वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि राजस्थान राज्य की कृषि से संबंधित शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं हैं।

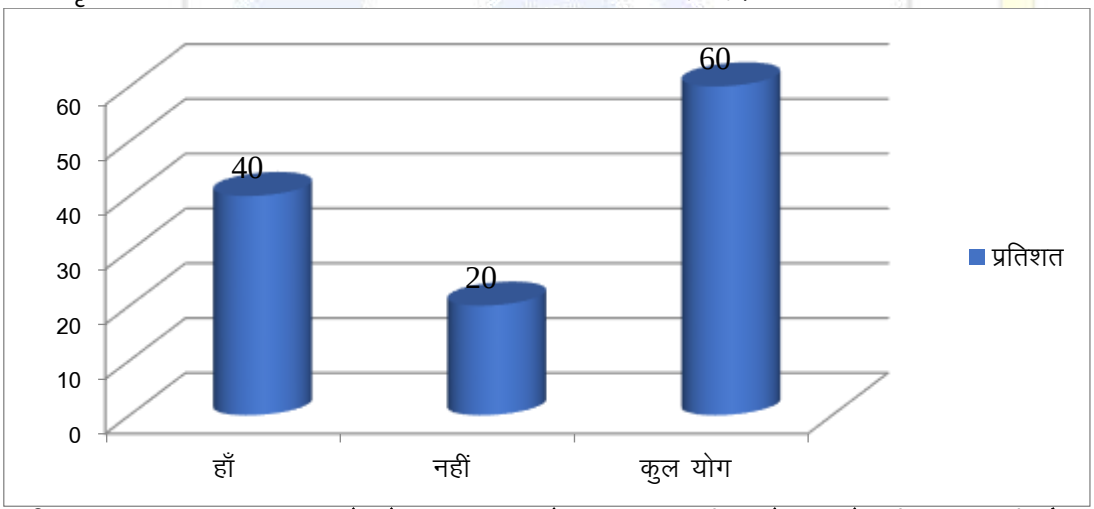

तालिका क्रं. 00.02 क्या आपको केन्द्र सरकार के द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी हैं ?

स.क्र.	विवरण	प्रतिशत
1	हाँ	38
2	नहीं	22
	कुल योग	60

स्त्रोत :– प्राथमिक समंक के आधार पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर नवम्बर 2023

उपरोक्त तालिका क्रं. 00.02 से स्पष्ट होता है कि बिलाड़ा विकासखण्ड के विभिन्न गॉवों में स्थित कृषकों का मानना हैं कि केन्द्र सरकार के द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी हैं, इस तथ्य को मानने वाले

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

उत्तरदाताओं की संख्या 38 है, वहीं 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि उनको केन्द्र सरकार के द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं हैं।

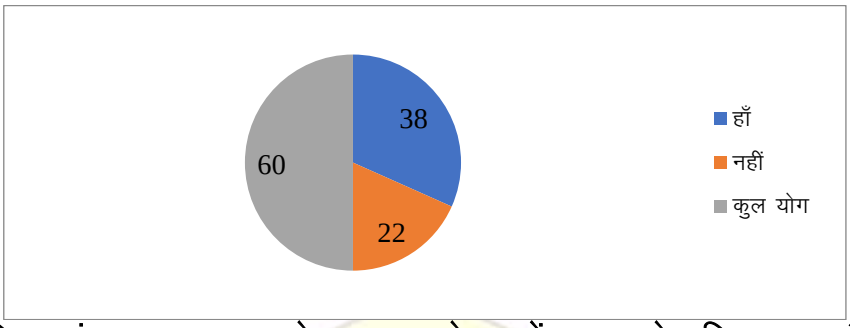

तालिका क्रं. 00.03 क्या आपके द्वारा इन योजनाओं का उपयोग किया जाता हैं ?

स.क्र.	विवरण	प्रतिशत
1	हाँ	44
2	नहीं	16
	कुल योग	60

स्त्रोत :– प्राथमिक समंक के आधार पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर नवम्बर 2022

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता हैं कि बिलाड़ा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में स्थित कृषकों का मानना हैं कि उनके द्वारा इन योजनाओं का उपयोग किया जाता हैं, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 44 है, वहीं 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि उनके द्वारा इन योजनाओं का उपयोग नहीं किया जाता हैं।

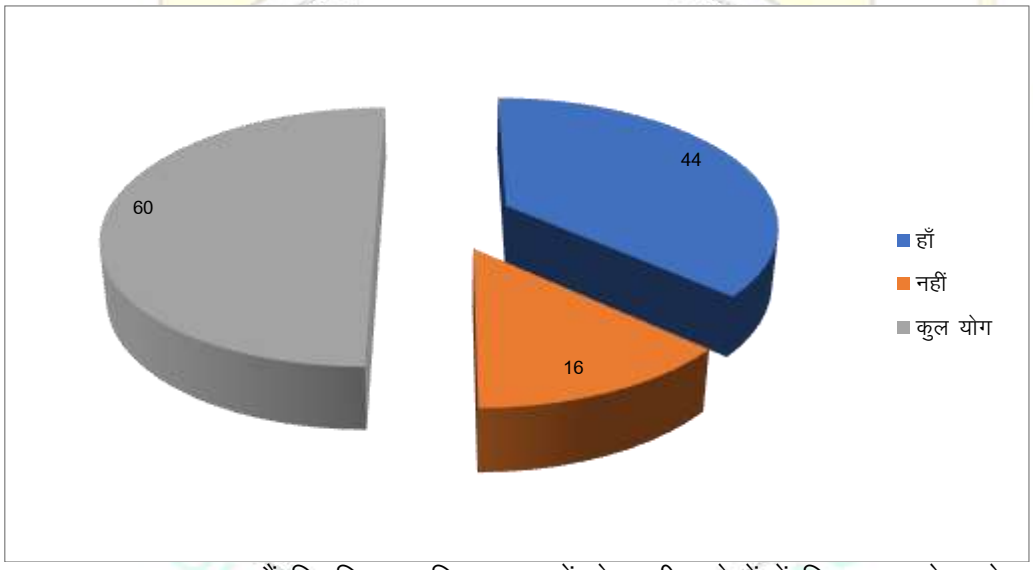

अतः कहा जा सकता हैं कि बिलाड़ा विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकतर कृषकों के द्वारा शासकीय योजनाओं का उपयोग किया जाता है।

तालिका क्रं. 00.04 इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आया हैं ?

स.क्र.	विवरण	प्रतिशत
1	हाँ	38
2	नहीं	22
	कुल योग	60

स्त्रोत :– प्राथमिक समंक के आधार पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर नवम्बर 2022

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता हैं कि बिलाड़ा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में स्थित कृषकों का मानना हैं कि इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आया हैं, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 38 है, वहीं 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन नहीं आया हैं।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

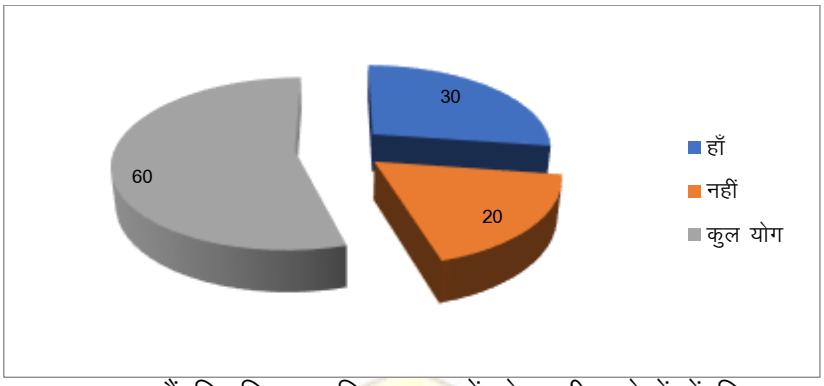

अतः कहा जा सकता हैं कि बिलाड़ा विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषकों के जीवन में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है।

निष्कर्ष :–

इस लघु शोध के माध्यम से मेरे द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं जो कि अग्रलिखित हैं :–

1. बिलाड़ा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में इन योजनाओं का उपयोग अधिक से अधिक कषकों के द्वारा किया जा रहा है।
2. वर्तमान समय में बिलाड़ा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं से कृषकों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले है।
3. इन योजनाओं के माध्यम से कृषकों की आर्थिक स्थिति में कई प्रकार सुधारात्मक प्रभाव को देखे गये है।
4. इन योजनाओं से आज ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के जीवन को सरल एवं आसान बना दिया है।
5. गॉवों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण फसल उत्पादन में अधिक समय लगता है।

सुझाव :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अधिक से अधिक शासकीय योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।
2. शासकीय योजनाओं ग्रामीण जन जीवन सरल एवं आसान हुआ है।
3. शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रत्येक कृषकों को होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बामनोट दिलीप (2006), किसानों को वास्तविक लाभ पानी के उपयोगकर्ताओं में छिपा है, त्रैमासिक पत्रिका ऑफ महाराष्ट्र सिनकन विक्स, वॉल्यूम. 19, पेज नं. 63–70।
2. बहेकर बी.डब्ल्यू. और बी.डी. भोले (1997), अकोला जिले में सिंचाई का गोवर्थ उत्थान महाराष्ट्र जर्नल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्सवोल 9 (12) 10।
3. गलगले एच.एम. (2000): रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग कर पिंपलगाँव उज्जैनी वाटरशेड में एकीकृत भूमि और जल संसाधन विकास, सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग उ.च. अअ. राहुरी पृष्ठ सं. 60–64।
4. हुसैन तारिक (2003), यील्ड पर विभिन्न सिंचाई स्तरों का प्रभाव और कपास के उपज घटकों को दिखाने के दो तरीकों के तहतः लेख, जैविक विज्ञान की ऑनलाइन पत्रिका, ISSN1608–4217.p-3 (7): 655–659।
5. इरशाद एम (2007): सूखे क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए पानी के प्रबंधन विकल्प अनुच्छेद, एप्लाइड साइंसेज के जर्नल, ISSN 1812–5654।